

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमाक:पं04(39)नविवि/II/2022

जयपुर,दिनांक: 05 JAN 2024

—:आदेश:—

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग की अशा.टीप कमांक आई.डी. संख्या 172302525 दिनांक 18.12.2023 के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.12.2023, जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कैडर स्ट्रैन्थ आदेश दिनांक 05.10.2023 के अन्त में नोट जोड़ा गया, को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित/निरस्त किया जाता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कैडर स्ट्रैन्थ हेतु पूर्व में जारी आदेश दिनांक 05.10.2023 ही प्रभावी रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(जुगल किशोर मीणा)

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग को अशा.टीप कमांक आई.डी. संख्या 172302525 दिनांक 18.12.2023 के क्रम में।
4. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
5. आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय